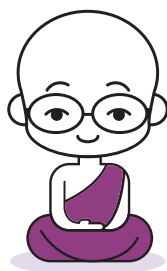




# भारत की राज्यव्यवस्था



## प्रस्तावना

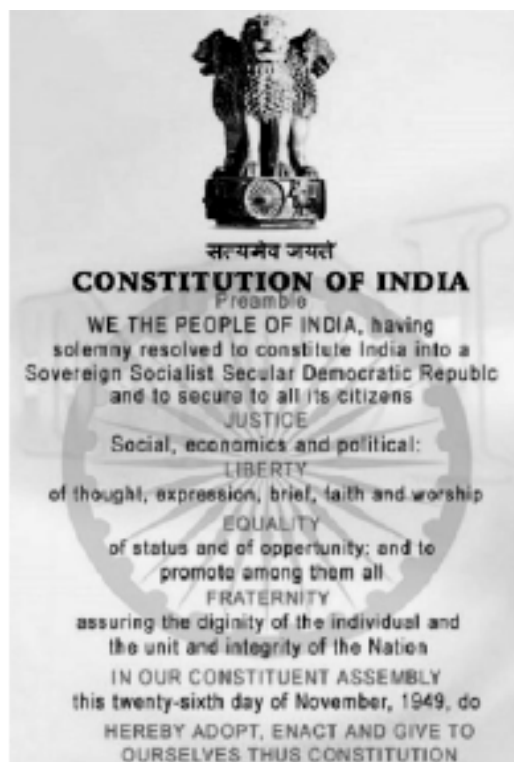
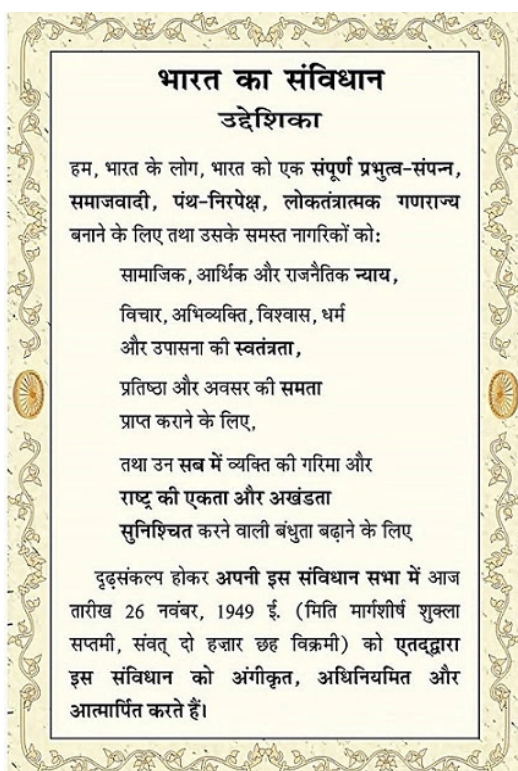
हमें UPSC सिविल सेवा उम्मीदवारों के लिए पुस्तकों की एक श्रृंखला प्रकाशित करते हुए बहुत खुशी हो रही है, भारतीय राजनीति ऐसी ही एक पुस्तक है। यह पुस्तक प्रीलिम्स और मेन्स दोनों के लिए, भारतीय राजनीति विषय के लिए उम्मीदवारों की आवश्यकता को पूरा करती है। यह व्यापक रूप से और स्पष्ट रूप से प्रीलिम्स के पेपर 1 के साथ-साथ मेन्स के पेपर 3 (जो कि जीएस II है) के लिए भी भारतीय राजनीति पाठ्यक्रम को कवर करता है।

यह पुस्तक पाठकों को विषय की पकड़ बनाने में सक्षम बनाएगी और इसके बारे में उचित समझ बनाएगी।

संवैधानिक शब्दावली जो कभी-कभी बहुत तकनीकी हो सकती हैं, उन्हें जहां आवश्यक हो प्रासंगिक उदाहरणों के साथ आसान तरीके से समझाया गया है।

सिविल सेवा परीक्षा के लिए छात्रों को कोचिंग देने का वर्षों का अनुभव को पुस्तक लेखन में प्रयोग किया गया है जो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की बढ़ती मांग को पूरा करता है।

हम पुस्तक के सभी पाठकों को उनकी आगामी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देते हैं।



## प्रस्तावना के घटक

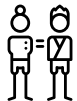
प्रस्तावना से यह संकेत मिलता है कि संविधान का अधिकार भारत के लोगों के पास है।



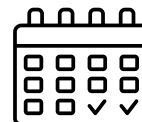
प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है।



### प्रस्तावना के घटक



प्रस्तावना द्वारा कहा गया उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, सभी नागरिकों के लिए समानता और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भाईचारे को बढ़ावा देना है।



प्रस्तावना में उस तारीख का उल्लेख है, जब इसे 26 नवंबर, 1949 को अपनाया गया था।

## प्रस्तावना की स्थिति

### पारंपरिक दृष्टिकोण

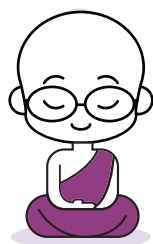
- पारंपरिक दृष्टिकोण यह है कि यह संविधान का एक आवश्यक हिस्सा नहीं है। यह केवल एक सजावटी हिस्सा है।
- इसका मतलब यह है कि अगर हम इसे संविधान से हटा देते हैं तो भी यह संविधान में निहित प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगा।

### आधुनिक दृष्टिकोण

- आधुनिक दृष्टिकोण यह है कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और संसद द्वारा संशोधन के अधीन है।

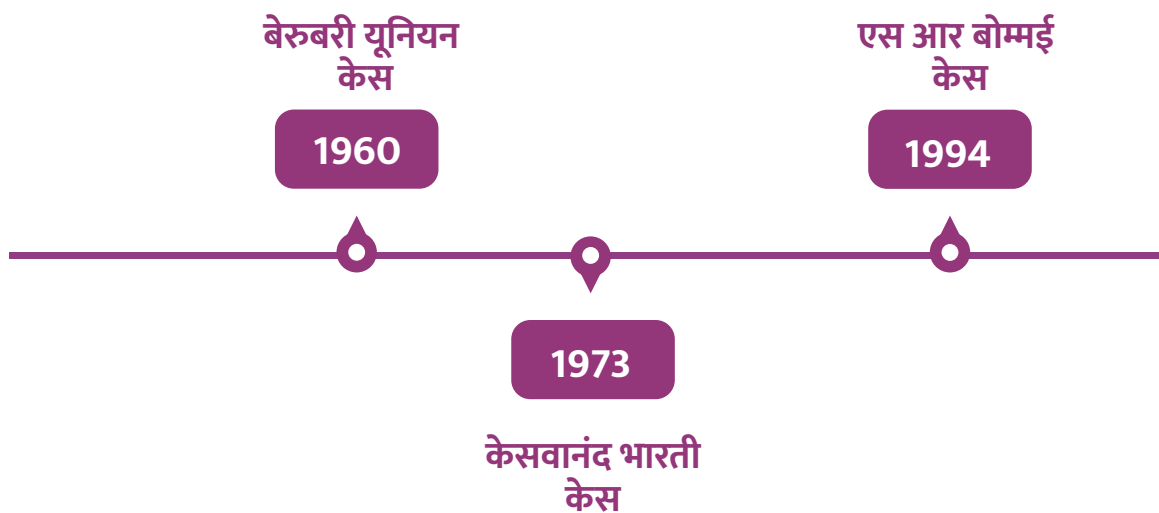
### प्रस्तावना-1

‘प्रस्तावना’ का तात्पर्य संविधान के परिचय या प्रशस्ति से है। इसमें संविधान का सार या तत्त्व निहित है। उस स्रोत को इंगित करता है जिससे संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है। लिखित संविधान की प्रस्तावना में उन उद्देश्यों को बताया गया है, जिन्हें संविधान स्थापित करना चाहता है। संविधान की कानूनी व्याख्या को बढ़ावा देता है और सहायता करता है, जहां भाषा अस्पष्ट है।



## प्रस्तावना की अवस्था

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान में कई प्रावधानों के पीछे सामान्य उद्देश्य को दर्शाती है और संविधान के निर्माताओं के दिमाग की कुंजी है।
- जब भी कोई अस्पष्ट लेख या लेखों की एक से अधिक व्याख्या होती है, तो सही व्याख्या करते समय प्रस्तावना में निहित उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
- हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यह भी कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है।
- यह किसी भी शक्ति को प्रदान नहीं करता है या किसी भी शक्ति को प्रतिबंधित नहीं करता है जो संविधान में स्पष्ट रूप से दिया गया है। इसके अलावा यह कानून की अदालत में लागू करने योग्य नहीं है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने फिर माना कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है।



- सर्वोच्च न्यायालय ने बेरुबरी मामले की पहले की राय को खारिज कर दिया गया , और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है।
- यह देखा गया कि प्रस्तावना अत्यधिक महत्व की है और संविधान को प्रस्तावना में व्यक्त भव्य और महान दृष्टि के प्रकाश में पढ़ा और व्याख्या किया जाना चाहिए।

### सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया स्पष्टीकरण

- प्रस्तावना साधारण क़ानून का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं हो सकता है लेकिन यह संवैधानिक क़ानून का एक अनिवार्य हिस्सा है।
- बेरुबरी मामले में प्रस्तावना के बारे में कुछ तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया गया जैसे:
  1. यह अन्य भागों की तरह ही समान तरीके से विधान सभा द्वारा अपनाया गया था।
  2. प्रस्तावना को अपनाने वाले प्रस्ताव ने कहा कि सवाल यह है कि “प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है”।
  3. प्रस्तावना बाकी संविधान के लागू होने के बाद अंत में जोड़ी/लागू की गई थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके की संविधान की प्रस्तावना में और अन्य भागों के बीच कोई असंगतता नहीं है। (संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रस्तावना को पहले लागू किया गया था)

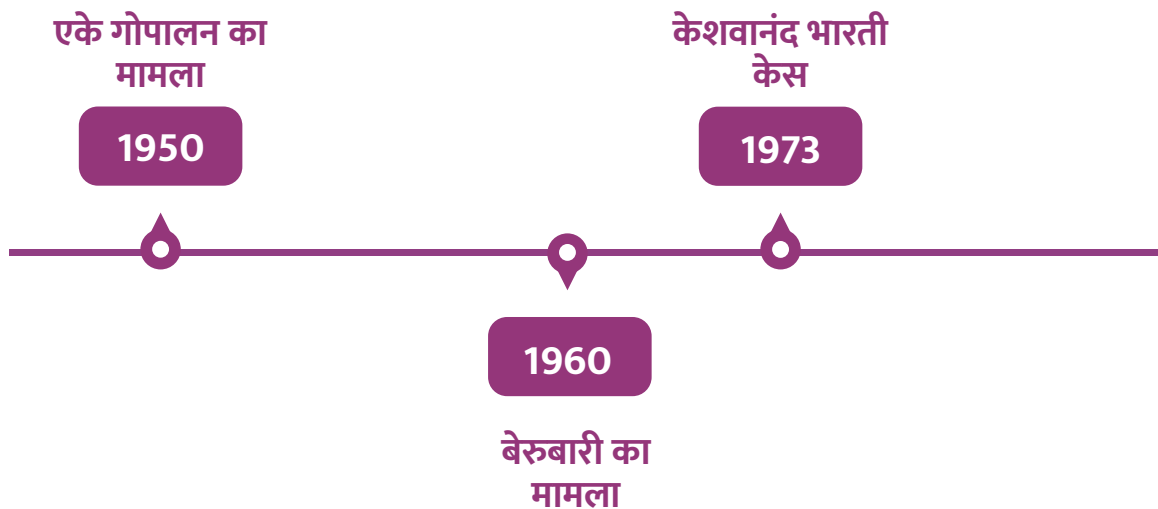
## प्रस्तावना की संशोधनशीलता

- प्रस्तावना से जुड़े संशोधन संबंधी प्रश्न केशव नंद भारती मामले में सामने आए जहां संसद ने 42 वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में नए शब्द जैसे, 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्षता' और 'अखंडता' को शामिल किया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक आवश्यक और अभिन्न अंग है और इसलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है अन्यथा संविधान की स्थिरता और सामंजस्य में गड़बड़ी हो सकती है।
- यह भी माना गया कि प्रस्तावना में इस शर्त के अधीन संशोधन किया जा सकता है कि संविधान की मूल संरचना में गड़बड़ी नहीं की जा रही है।

## संविधान की व्याख्या के लिए एक सहायता के रूप में प्रस्तावना

इसके बाद के मामले सर्वोच्च न्यायालय के दृष्टिकोण और उसके बाद स्थापित सिद्धांत पर प्रकाश डालते हैं।

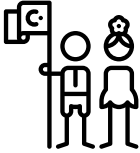
- संविधान के प्रावधान स्पष्ट होने पर प्रस्तावना को लागू नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि स्पष्ट प्रावधानों की व्याख्या के लिए प्रस्तावना का उपयोग नहीं किया जा सकता है।
- प्रस्तावना अत्यंत महत्वपूर्ण है, संविधान को प्रस्तावना में व्यक्त भव्य और महान उद्देश्यों और विचारों के प्रकाश में पढ़ा और व्याख्या किया जाना चाहिए।
- सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावना का उपयोग मौलिक अधिकारों और निर्देश सिद्धांतों के बीच संबंधों की व्याख्या में किया जा सकता है।
- उच्चतम न्यायालय ने 25 वें संशोधन अधिनियम 1971 की वैधता की जांच करने में उपरोक्त दृष्टिकोण का उपयोग किया जिसमें अनुच्छेद 31C जोड़ा गया।



- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान के प्रावधानों में अस्पष्टता होने पर प्रस्तावना का उपयोग किया जा सकता है। प्रस्तावना विधानसभा के सदस्यों के दिमाग को समझने की कुंजी है।

## प्रस्तावना में मुख्य शब्द

### संप्रभुता (सॉवरेन)



- संप्रभुता से तात्पर्य किसी राज्य के स्वतंत्र अधिकार से है। इसका अर्थ है कि राज्य में किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति है और यह किसी राज्य या बाहरी शक्ति के नियंत्रण के अधीन नहीं है।
- इसका तात्पर्य यह है कि भारत न तो किसी अन्य राष्ट्र का एक पराधीन देश (डिपेंडेंसी) है और न ही एक अधिराज्य (डोमिनियन) है, लेकिन एक स्वतंत्र राज्य है।
- इसके ऊपर किसी का कोई अधिकार नहीं है और यह आंतरिक और बाहरी दोनों मामलों में अपने स्वयं के मामलों का संचालन करने के लिए स्वतंत्र है।
- 1949 में राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की अपनी पूर्ण सदस्यता जारी रखने की भारत की घोषणा किसी भी तरीके से भारत की संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती है।
- यह एक स्वैच्छिक घोषणा है और यह दर्शाता है कि भारत एक स्वतंत्र संघ है और इसका किसी के लिए कोई दायित्व नहीं है।
- यह राष्ट्रमंडल में इंग्लैंड के क्राउन को एक प्रतीकात्मक प्रमुख के रूप में स्वीकार करता है परन्तु इससे इंग्लैंड के क्राउन का भारत के नागरिकों की निष्ठा पर कोई दावा नहीं बनता है।

जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समझाया “यह समझौता स्वतंत्र इच्छा से बना है जो की समाप्त भी स्वतंत्र इच्छा से होगा”।

## संप्रभुता पर वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रभाव

1. भारत हमेशा से ही अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का समर्थक रहा है; यह संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास में भाग लिया है।
  - यह आईएमएफ, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों का सदस्य है।
  - यह G20, वासेनार अरेंजमेंट, MTCR जैसे देशों के अन्य वैश्विक समूहों का भी सदस्य है, क्या इसका मतलब यह है कि ऐसी सदस्यता हमारे देश की संप्रभुता से समझौता करती है?
2. यह महसूस किया जाना चाहिए कि संप्रभुता एक कानूनी और काल्पनिक अवधारणा है।
  - व्यवहार में इसे लेकर अक्सर समझौता किया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की सदस्यता के लिए वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय समझौते संप्रभुता का कमजोर पड़ना नहीं है, बल्कि संप्रभुता के तरीके का एक संशोधन है।
  - बल्कि इसका मतलब संप्रभुता का अधिक जिम्मेदार उपयोग है।
3. सरकार ने अब तक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करना जारी रखा है।
  - बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधित पहलुओं पर समझौता (ट्रिप्स) या खाद्य सप्लिडी के संबंध में WTO में बहस एक मामला है।



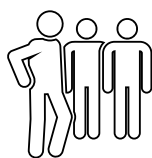
## समाजवादी



समाजवादी शब्द को 1976 में 42 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था।

- हालाँकि प्रस्तावना के संशोधन से पहले भी, संविधान में सामाजिक तत्त्व राज्य नीति के निर्देश सिद्धांतों के अनुच्छेद 39 बी और 39 सी के रूप में उभर के आता है।
- हालाँकि भारतीय संविधान में जिस समाजवाद की परिकल्पना की गई है, वह राज्य समाजवाद की सामान्य योजना के समान नहीं है, जिसमें निजी संपत्ति के उत्पादन और विकास के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण शामिल है।
- भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, जहां राज्य लोगों और निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी द्वारा समाज के परिवर्तन में एक प्रमुख भूमिका निभाता है।
- सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि भारतीय समाजवाद का मुख्य उद्देश्य आय और स्थिति की असमानता को खत्म करना और अपने नागरिकों को जीवन स्तर का एक सभ्य मानक प्रदान करना है।
- इसलिए संविधान पूरी तरह से निजी संपत्ति को पूरी तरह से समाप्त करना नहीं है बल्कि इसे संयम के तहत रखने की मांग करता है ताकि इसका उपयोग राष्ट्र के हित में किया जा सके।
- इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था वास्तव में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसका उद्देश्य सभी को समान अवसर प्रदान करना और निहित स्वार्थों को समाप्त करना है।
- कुछ लोगों का तर्क है कि 1991 के बाद उदार आर्थिक नीति को अपनाने से समाजवाद के इस सिद्धांत को कमजोर किया गया है क्योंकि निजी कंपनियों के पक्ष में विभिन्न उद्योगों में निजीकरण, विनिवेश में वृद्धि आदि हुई है।
- विकास ने अंतरराष्ट्रीय और अंतरंग असमानताओं में वृद्धि की है, बेरोजगारी के विकास के मामलों में भी वृद्धि हुई है और यह सामूहिक गरीबी को समाप्त करने में विफल रहा है।
- यह सच है कि उदार आर्थिक नीति की अपनी सीमाएँ हैं और इसलिए समावेशी विकास के विचार को नीति निर्माण की तह में वापस लाया गया है।
- जन धन योजना, मुद्रा योजना, पहल योजना, उज्ज्वला योजना आदि योजनाओं में समावेशी विकास और इसके दायरे में सबसे गरीब लोगों को लाना शामिल है।

## धर्म निरपेक्ष



धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था।

लेकिन इससे पहले भी संविधान में विभिन्न प्रावधान सुनिश्चित करते हैं कि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष है

- भारतीय राज्य का कोई धर्म नहीं है।
- अनुच्छेद 14, 15 के लेखों में निहित समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 27 भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को स्थापित करता है।
- अनुच्छेद 15 एक विशिष्ट निर्देश है कि राज्य केवल नागरिकों के बीच धर्म जाति वर्ण सेक्स या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा जिसका अर्थ है कि सकारात्मक कार्रवाई की अनुमति है लेकिन केवल धर्म के आधार पर नहीं।

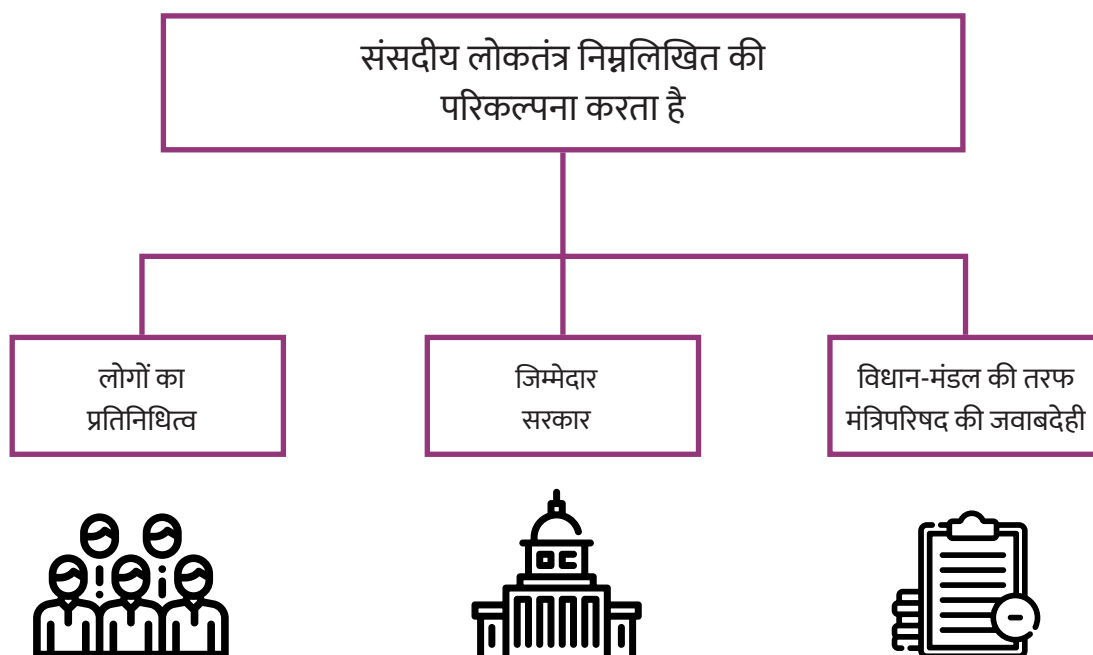
- अनुच्छेद 25 से 28 में उल्लिखित मौलिक अधिकार सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं राज्य की ओर से सभी धर्मों के संस्थानों के बीच सख्त निष्पक्षता का प्रचार करते हैं।
- धर्म के अधीनस्थ होने के बजाय धर्म एक राज्य के अधीन है; इसका तात्पर्य यह है कि राज्य सामाजिक सुधारों के उद्देश्य से धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है।
- ऐतिहासिक संदर्भ से उभरने वाली भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेष विशेषता यह है कि अल्पसंख्यकों को उनकी संस्कृति और परंपराओं की सुरक्षा के संबंध में संरक्षण दिया जाता है।
- सबरीमाला केस, ट्रिपल तलाक केस जैसे धर्मों में समान महिला सशक्तीकरण से संबंधित हाल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले धर्म से प्रभावित हुए बिना सामाजिक सुधारों के उदाहरण हैं।

भारत एक बेहद विविधता वाला देश है और इसलिए इन लोगों में एकता और बंधुत्व के आदर्श को प्राप्त करने के लिए धर्मनिरपेक्षता की बहुत बड़ी भूमिका है।

### लोकतांत्रिक



- लोकतांत्रिक गणराज्य का अर्थ है कि लोकतंत्र केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी है।
- प्रस्तावना न्याय समानता और बंधुत्व की भावना से प्रभावित एक लोकतांत्रिक समाज की परिकल्पना करती है।
- हमारे संविधान में परिकल्पित सरकार का रूप संसदीय लोकतंत्र है। वास्तविक कार्यकारिणी एक प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद है जो संसद की तरफ जिम्मेदार है। राज्यों में भी एक समान संरचना का गठन होता है।



## गणतंत्र



- प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि संविधान में सभी अधिकारों का स्रोत भारत के लोगों से हैं और वे किसी भी बाहरी प्राधिकारी के अधीनस्थ नहीं हैं।
- हमारे पास राज्य के प्रमुख के रूप में एक निर्वाचित राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति सहित सभी कार्यालय सभी नागरिकों के लिए खुले हैं।
- यह ब्रिटेन या जापान के विपरीत है जहां एक प्रधान मंत्री है जो सरकार का प्रमुख है लेकिन देश का प्रमुख एक राजा या रानी है जो एक वंशागत पद है।

## न्याय



- न्याय में सभी व्यक्तियों के साथ निष्पक्ष नैतिक और निष्पक्ष बरताव शामिल है। इसका मतलब यह है कि लोगों को वे चीजें मिलना जिनके वे वास्तव में योग्य हैं या कुछ अर्थों में हकदार हैं।
- प्रस्तावना में वर्णित न्याय शब्द के तीन अलग-अलग रूप हैं: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इन्हें मौलिक अधिकारों और निर्देश सिद्धांतों के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से सुरक्षित किया जाता है।

### न्याय शब्द के तीन अलग-अलग रूप हैं

#### सामाजिक न्याय

- जाति, रंग, वंश/प्रजाति, धर्म, लिंग पर आधारित किसी भी भेद के बिना सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार।
- इसका मतलब समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार का अभाव है और साथ ही पिछड़े वर्गों और महिलाओं के सुधार के लिए प्रावधान करना है।



#### आर्थिक न्याय

- आर्थिक कारकों के आधार पर लोगों के बीच गैर-भेदभाव जिसमें धन आय और संपत्ति में त्रिव असमानता को समाप्त करना शामिल है।



#### राजनीतिक न्याय

- यह कि सभी नागरिकों को सभी राजनीतिक कार्यालयों में समान राजनीतिक अधिकार, समान पहुंच और सरकार में समान आवाज का अधिकार होना चाहिए।



न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक होने का विचार रूसी क्रांति से लिया गया है।

### स्वाधीनता (लिबर्टी)

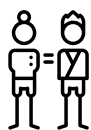


स्वाधीनता शब्द का अर्थ है व्यक्तियों की गतिविधियों पर प्रतिबंध का अभाव, एक ही समय में व्यक्तिगत व्यक्तित्व के विकास के लिए अवसर प्रदान करना।

- संविधान अपने सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों के माध्यम से विचार, अभिव्यक्ति, धारणा, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता देता है, जो कानून की अदालत में लागू करने योग्य हैं।
- विचार की स्वतंत्रता यहां महत्व रखती है: आपके विचार वर्तमान शासक सरकार के विचारों के साथ सहमति रख या नहीं रख सकते हैं।
  - हालांकि यह उचित प्रतिबंधों के अधीन है।
  - हालांकि उचित प्रतिबंध संविधान द्वारा ही स्वतंत्रता पर लगाए गए हैं।
- स्वाधीनता, समानता और बंधुत्व के आदर्श फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं।

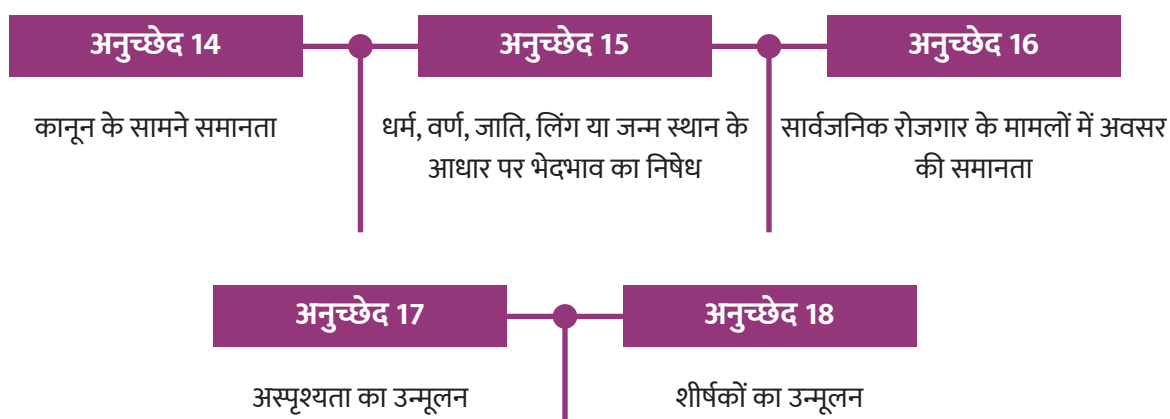
स्वाधीनता, समानता और बंधुत्व के आदर्श फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं।

### समानता



- समानता का अर्थ है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष विशेषाधिकार का अभाव और बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त अवसरों का प्रावधान।
- प्रस्तावना सभी नागरिकों, स्थिति और अवसर की समानता का आश्वासन देती है। इसके तीन आयाम हैं नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक।

निम्नलिखित मूल अधिकार नागरिक समानता को सुनिश्चित करते हैं



## राजनैतिक समानता निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधानों द्वारा मांगी गई है

### अनुच्छेद 325

किसी भी व्यक्ति को धर्म, वंश, जाति या लिंग के आधार पर मतदाता सूची में शामिल करने के लिए अनुचित घोषित नहीं किया जाना चाहिए

### अनुच्छेद 326

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर किए जाने हैं

## आर्थिक समानता

- निर्देशक सिद्धांत
- अनुच्छेद 39

आजीविका के पर्याप्त साधनों और समान काम के लिए समान वेतन के समान अधिकार सुरक्षित पुरुषों और महिलाओं को देते हैं।

## बंधुत्व

- बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना।
- एकल नागरिकता का विचार अनंत काल की इस भावना को बढ़ावा देता है, मौलिक कर्तव्यों का अनुच्छेद 51 A कहता है कि यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह भारत के लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय और खंड संबंधी विविधताओं के बीच सामंजस्य और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा दे।
- और अनुच्छेद 19, धर्मनिरपेक्षता के आदर्श, अनुच्छेद 301, 302, एक राष्ट्र-एक कर, एक बाजार के संबंध में जीएसटी अवधारणा, बंधुत्व के विचार को सुदृढ़ करता है।

## बंधुत्व दो चीजों का आश्वासन देता है

- राष्ट्र की अखंडता

(42 वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया)

1. इसका अर्थ है राष्ट्रीय एकीकरण के में दोनों मनोवैज्ञानिक और क्षेत्रीय आयाम/पहलु आवश्यक हैं।

- संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित किया गया है जिसका अर्थ है कि राज्यों को संघ से खुदको अलग देखने का अधिकार नहीं है।
- अन्य कारक जो अखंडता में योगदान करते हैं, वे हैं, राज्यों का स्वतंत्र पुनर्गठन, स्वतंत्र और समान न्यायपालिका, मजबूत सैन्य और अर्धसैनिक बल, केंद्रीय प्रवृत्ति, केंद्रीय पार्टियों जैसे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का विकास तथा अखिल भारत में उपस्थिति, जीएसटी, संचार और प्रौद्योगिकी, मीडिया, फिल्मों और फिल्मों की भूमिका आदि।

- व्यक्ति की गरिमा

संविधान यह सुनिश्चित करेगा कि हर व्यक्ति की बेहतरी हो और यह स्वीकार करता है कि हर एक व्यक्ति पवित्र है।